

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धौद जिला - सीकर

गोविन्दाराम पुत्र

बनाम

तहसीलदार सीकर ग्रामीण

किसम मुकदमा

501/138/2025

पु.नं. 381 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा - पत्र
17/9/25	<p>प्रार्थीगण गोविन्दाराम पुत्र हरदेवाराम, लालचन्द जांगिड़ पुत्र हरदेवाराम समस्त जाति जांगिड़ निवासीगण ग्राम गोठड़ा तगालान तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत आवेदन बाबत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम को दुरुस्त करने के अनुसार वाके ग्राम गोठड़ा तगालान तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के खाता सं. (नया) 73 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थीगण के नाम की प्रविष्टियां गोविन्दाराम पुत्र हरदेवा, लालचन्द पुत्र हरदेवा दर्ज है, जो कि अशुद्ध है तथा ग्राम गोठड़ा तगालान तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के खाता सं. (नया) 74 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थीगण के नाम की प्रविष्टियां गोविन्दाराम पुत्र हरलाल, लालचन्द पुत्र हरलाल दर्ज है, जो कि अशुद्ध है। जबकि प्रार्थीगण के नाम की सही प्रविष्टियां क्रमशः गोविन्दाराम पुत्र हरदेवाराम, लालचन्द जांगिड़ पुत्र हरदेवाराम है। प्रार्थीगण के नाम से बने दस्तावेजात की प्रस्तुत प्रतियों के अनुसार प्रार्थीगण के नाम की प्रविष्टियां क्रमशः गोविन्दाराम पुत्र हरदेवाराम, लालचन्द जांगिड़ पुत्र हरदेवाराम अंकित है, जो कि सही है। अतः उक्त वर्णित वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थीगण के नाम की प्रविष्टियां गोविन्दाराम पुत्र हरदेवा, लालचन्द पुत्र हरदेवा/गोविन्दाराम पुत्र हरलाल, लालचन्द पुत्र हरलाल के स्थान पर उक्त प्रविष्टियां क्रमशः गोविन्दाराम पुत्र हरदेवाराम, लालचन्द जांगिड़ पुत्र हरदेवाराम दुरुस्त किया जावें।</p> <p>प्रकरण में प्रार्थीगण के अनुतोष के संबंध में तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांक: भू.अ./2025/2773 दिनांक 12.08.2025 के द्वारा दुरुस्ती संबंधी रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात प्राप्त हुई। उक्त रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया। उक्त रिपोर्टस मुताबिक प्रार्थीगण के अनुतोष के अनुसार सही है। प्रार्थना-पत्र अ.धा. 136 एल आर एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावें।</p> <p>अतः प्रार्थीगण का आवेदन तहसीलदार, सीकर ग्रामीण की उक्त रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम गोठड़ा तगालान तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के खाता सं. (नया) 73 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थीगण के नाम की प्रविष्टियां गोविन्दाराम पुत्र हरदेवा, लालचन्द पुत्र हरदेवा के स्थान पर उक्त प्रविष्टियां क्रमशः गोविन्दाराम पुत्र हरदेवाराम, लालचन्द जांगिड़ पुत्र हरदेवाराम दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा ग्राम गोठड़ा तगालान तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के खाता सं. (नया) 74 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थीगण के नाम की प्रविष्टियां गोविन्दाराम पुत्र हरलाल, लालचन्द पुत्र हरलाल के स्थान पर उक्त प्रविष्टियां क्रमशः गोविन्दाराम पुत्र हरदेवाराम, लालचन्द जांगिड़ पुत्र हरदेवाराम दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए संबंधित खातेदारान/प्रार्थीपक्ष स्वयं जिम्मेदार होंगे। तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांक: भू.अ./2025/2773 दिनांक 12.08.2025 के द्वारा प्राप्त दुरुस्ती संबंधी रिपोर्ट आदेश का अभिन्न अंग रहेगी। पालनार्थ तहसीलदार, सीकर ग्रामीण को लिखा जावें।</p> <p>आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर है।</p>



उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
धौद जिला सीकर



खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र
(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 136)

क्रमांक/भू.अ./2024/ 2773

दिनांक: 12/01/25

सेवामें,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,
धोद, जिला सीकर।

विषय:- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम गोठडा तगालान पटवारी मण्डल गोठडा तगालान तहसील- सीकर ग्रामीण, जिला- सीकर की जमाबंदी सम्वत् 2074-75 के पठन/अवलोकन/प्रार्थीपक्ष के आवेदन के समय निम्नानुसार अशुद्धियां चिन्हित की गई है। जिनकी दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावें।

(प्रार्थी का आवेदन व आवश्यक दस्तावेजात संलग्न है)

क्र.स.	नाम ग्राम	खाता संख्या	अशुद्ध प्रविष्टि का विवरण	शुद्ध प्रविष्टि का विवरण
01	गोठडा	73	गोविन्दाराम पुत्र	गोविन्दाराम पुत्र
02	तगालान	74	हरलाल/हरदेवी	हरदेवाराम <u>जांगिड़</u>
03			लालचन्द पुत्र	लालचन्द पुत्र
04			हरलाल/हरदेवी	हरदेवाराम
05				

प्रकरण श्रीमान जी के न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है। अतः दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावे।

हस्ताक्षर पटवारी
प.म. गोठडा तगालान

LR भाडोला
9177025
भू.अ. निरीक्षक
भू.अ. नि.वृत्त.....

B
तहसीलदार (सीकर)
तहसील- सीकर ग्रामीण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद, जिला सीकर

क्रमांक: सीडर/2024/

दिनांक:

आदेश

आवेदन मय दस्तावेजान अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट न्यायालय को प्राप्त हुआ, जिसमें पटवारी भू.अ. नि. तहसीलदार की रिपोर्ट व सलंगन दस्तावेजान आदि का अवलोकन किया गया एवं कॉलम 4 के स्थान पर कॉलम 5 का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते हैं। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए संबंधित प्रार्थीपक्ष/खातेदार स्वयं जिम्मेदार होंगे। संबंधित तहसीलदार आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट से अवगत करावें।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी
धोद, जिला सीकर